




राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 424 -दो /08

जिला -सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>15.5.14</p> <p>समय दोपहर 12.00 बजे</p> <p>समय दोपहर 3.00 बजे</p>	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री हरिओम चौकसे एवं आवेदक श्रीमती इन्द्रावाई दत्तक पुत्री स्व0 श्री मुलामसिंह दांगी पत्नी श्री मुन्नासिंह निवासी ग्राम भडराना तहसील बण्डा जिला सागर म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p>प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत ।</p>	
<p>शाम 5.00 बजे</p>	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री हरिओम चौकसे एवं आवेदक श्रीमती इन्द्रावाई दत्तक पुत्री स्व0 श्री मुलामसिंह दांगी पत्नी श्री मुन्नासिंह निवासी ग्राम भडराना तहसील बण्डा जिला सागर म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p>प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत ।</p>	
	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री हरिओम चौकसे एवं आवेदक श्रीमती इन्द्रावाई दत्तक पुत्री स्व0 श्री मुलामसिंह दांगी पत्नी श्री मुन्नासिंह निवासी ग्राम भडराना तहसील बण्डा जिला सागर म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>अतः म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।</p> <p style="text-align: right;"> (अशोक शिवहरे) सदस्य</p>	

ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ୫୩ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

ଶ୍ରୀ ୫୩ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ କରିବାକୁ
ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ
ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

ଶ୍ରୀ ୫୩ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ କରିବାକୁ
ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ
ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।
